Source: https://www.ugc.ac.in/pdfnews/4033931_UGC-Regulation_min_Qualification_Jul2018.pdf

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018

सं. एफ. 1–2/2017 (ईसी/पीएस).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (ड.) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010'' (विनियम सं. एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय– समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः –

1. **<u>लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन</u>:**

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।

1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।

3. यदि कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc,.)

S.N.	Academic/Research Activity	Faculty of Sciences /Engineering / Agriculture / Medical /Veterinary Sciences	Faculty of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library /Education / Physical Education / Commerce / Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publications (other than Research papers)**		
	(a) Books authored which are published by ;		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08
	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new curricula and courses	02 per curricula/course	02 per curricula/course
	(c) MOOCs		
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (4 credit course)(In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20	20
	MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit course)(In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08	08
	(d) E-Content		
	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book	12	12
	e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05	05
	Contribution to development of e-content module in complete course/paper/e-book (at least one quadrant)	02	02
	Editor of e-content for complete course/ paper /e-book	10	10
4	**(a) Research guidance**		